न्यायालय सहायक कलक्टर (मु0) सीकर
पीठासीन अधिकारी :– कुणाल राहड़, आर0ए0एस0
पत्रावली सं :: 117/2023/दावा

कुमारी वर्षा बनाम ललिता देवी आदि

उपस्थित :–1. श्री प्रभातीलाल, वकील प्रार्थी/प्रति.सं. 10,12,13,14, 15, 17 की ओर से।
2. श्री फूलचंद थालौड, वकील अप्रार्थी/वादिया की ओर से।

आवेदन पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी एंव सपठित धारा 151 सीपीसी।

निर्णय दिनांक :: 16.01.25

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रार्थी/ प्रतिवादी 10,12,13, 14, 15, 17 की ओर से आवेदन पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी एंव सपठित धारा 151 सीपीसी पेश कर निवेदन किया है कि ग्राम पलसाना तहसील दांतारामगढ़, सीकर में अवस्थित कृषि भूमि ख0नं0 2091/2 रकबा 0.74 है0 के प्रति0सं0 1,11,12,13,14,15,16,17 एंव सुंदरी देवी पत्नि मोहरीलाल सह खातेदार है तथा ख0नं0 2093 रकबा 1.70 है0 के प्रति0सं0 1,10,11,12,13,14,15 रिकॉर्डेड सह खातेदार है। उक्त कृषि भूमियां ग्राम पलसाना तह0 दांतारामगढ़,सीकर में अवस्थित है। इन कृषि भूमियों की वादिया सह खातेदार अथवा सह हिस्सेदार नहीं है ना ही उसका अपने पिता के जीवनकाल में कोई हक हिस्सा बनता है। वादिया का पिता किशोर था, जिसने मूल ख0नं0 2093 में से अपना संपूर्ण 1/12 हिस्से का वर्ष 2002 में ही परमानंद पुत्र गीगराज मारवाल को एंव ख0नं0 2091 रकबा 1.05 है0 में से अपना संपूर्ण 1/6 हिस्सा वर्ष 2003 में रामकेशर कुमावत पुत्र जगदीश प्रसाद को जरिये रजि0 विक्रय पत्र बेचान कर दिया था। इस कारण ख0नं0 2093 के संबंध में ना0क0 सं0 664 दिनांक 23.10.2002 को एंव ख0नं0 2092 के संबंध में ना0क0सं0 713 दिनांक 05.03.2003 को स्वीकृत होकर उक्त केतागण का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुआ। जो कि इस वाद पत्र में प्रति0सं0 10 एंव 14 के रूप में पक्षकार है। उक्त बेचान के समय वादिया का जन्म भी नहीं हुआ था इसलिए वादिया को अपने जन्म से पूर्व व्ययन की गयी वादग्रस्त संपदा का वाद प्रस्तुत करने का लोकस्टेण्डाई नहीं है। जिस कारण वादिया द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र मेन्टेनेबल नहीं है एंव मेन्टेनेबलिटी का प्रश्न विधि का प्रश्न है इसलिए वाद पत्र विधि द्वारा वर्जित होने के कारण इसी

सहायक कलक्टर (मु.) सीकर

Scanned with CamScanner

स्टेज पर नामंजूर किया जाना प्रार्थनीय है। वादिया ने विधि के प्रावधानों के विपरीत यह वाद पेश किया है। प्रथमतया वादग्रस्त कृषि भूमि वादिया के संयुक्त हिन्दू परिवार की सहदायिक संपत्ति नहीं है। द्वितीयतः हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में वर्ष 2005 में संशोधन किया गया है उससे पूर्व पुत्रियां अपने पिता के जीवनकाल में पुत्रों के समान सहदायिक नहीं थी, जिन्हें संशोधित अधिनियम में सहदायिक मान्य किया गया। परन्तु उक्त अधिनियम रिट्रोस्पेक्टिव नहीं होकर प्रोस्पेक्टिव है तथा दिनांक 20.12.2004 के पूर्व अंतरित व्ययनित या अन्यथा सकंमित सम्पत्ति को उक्त अधिनियम अविधिमान्य नहीं करता है। इसी कानूनी प्रावधान के संदर्भ में ख0नं0 2091 व 2093 के संबंध में अवलोकन किया जावे तो वादिया का पिता वर्ष 2002 व 2003 में ही अपना संपूर्ण हिस्सा विक्रय कर चुका था। जिसका विवरण मद सं0 1 में अंकित किया गया है इसलिए वादिया द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र धारा 6 हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की उपधारा (1) के परन्त से हिट होने के काराण वाद पत्र विधि द्वारा वर्जित है इसलिए वाद पत्र को ख0नं0 2091/2 एंव 2093 के संबंध में इसी स्टेज पर नामंजूर किया जाना प्रार्थनीय है। वादिया को वादग्रस्त कृषि भूमि के संबंध में वाद कारण उत्पन्न नहीं हुआ। इसलिए वाद कारण के अभाव में भी वाद पत्र खारिज किया जाना प्रार्थनीय है। वादिया वादग्रस्त कृषि भूमि की रिकार्डेड सह खातेदार नहीं है, जिसे विभाजन का वाद लाने का अधिकार नहीं है तथा धारा 53 आरटी एक्ट के तहत वही व्यक्ति विभाजन का वाद पेश कर सकता है जो रिकार्डेड सह खातेदार हो इसलिए भी वाद पत्र को नामंजूर किया जाना प्रार्थनीय है। आवेदन पत्र पेश कर वादिया द्वारा प्रस्तुत वाद को नामंजूर किया जाकर खारिज करने हेतु निवेदन किया है।

अप्रार्थी/वादी ने आवेदन पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी एंव सपठित धारा 151 सीपीसी का जवाब पेश कर निवेदन किया है कि प्रार्थना–पत्र की मद सं0 1 जिस प्रकार से तहरीर की गयी है, गलत होने से अस्वीकार है, क्योंकि वादिया के पिता किशोर का हिस्सा उपरोक्त आराजियात में सह खातेदारी की रही है, जो पैतृक संपत्तिया थी। पैतृक संपत्ति संपूर्ण को बेचने का कोई अधिकार नहीं था, क्योकि हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 6 के तहत प्रथम श्रेणी में वारिस होने के नाते बर्थ राईट है एंव उक्त आवेदन आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के प्रावधान की परिधि में नहीं आता है। अप्रार्थीया/वादिया द्वारा वाद विधि

सहायक कलक्टर (मु.) श्रीकर

Scanned with CamScanner

सम्मत पेश किया है इसलिए प्रतिवादीगण/प्रार्थीगण का आवेदन चलने योग्य नहीं है। मद सं0 2 गलत होने से अस्वीकार है। वादग्रस्त आराजी पैतृक सम्पति है जो हिन्दू उत्तराधिकार 1956 से ही बाई बर्थ लागू होता है इसलिए अप्रार्थीया/वादिया का दावा विधि सम्मत पेश किया है, जिसमें जवाबदाता के विधिक व साम्पतिक अधिकार विधमान है। समस्त प्रतिवादीगण का जवाब दावा आने के बाद तनकीयात कायम की जाकर एंव साक्ष्य ली जाकर विधि सम्मत निर्णय पारित किया जाना न्यायोचित है। मद सं0 3 गलत होने से अस्वीकार है। दावे की मद सं0 3 वाद कारण का स्पष्ट उल्लेख किया गया है। मद सं0 4 गलत होने से अस्वीकार है। वादिया ने उद्घोषणा, बंटवारा व स्थायी निषेधाज्ञा का दावा पेश किया है इसलिए उद्घोषणा की जाकर बंटवारा की रिलीफ दिया जाना न्यायसंगत है। अप्रार्थीया/वादिया द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर प्रार्थी/प्रतिवादीगण का प्रार्थना–पत्र मय हर्जे–खर्चे खारिज करने हेतु निवेदन किया है।

बहस वकील उभय पक्ष सुनी गई,मनन किया। बहस के दौरान वकील प्रार्थी/प्रतिवादीगण एंव वकील अप्रार्थीया/वादिया ने आवेदन पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी एंव सपठित धारा 151 सीपीसी में अंकित तथ्यों को ही दोहराया। पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रिकार्ड एंव आवेदन पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी एंव सपठित धारा 151 सीपीसी का अवलोकन किया गया। जिससे जाहिर है कि विवादित कृषि भूमियां ग्राम पलसाना तह0 दांतारामगढ़,सीकर में अवस्थित है। इन कृषि भूमियों की वादिया सह खातेदार अथवा सह हिस्सेदार नहीं है ना ही उसका अपने पिता के जीवनकाल में कोई हक हिस्सा बनता है। वादिया के पिता किशोर ने मूल ख0नं0 2093 में से अपना संपूर्ण 1/12 हिस्से का वर्ष 2002 में ही परमानंद पुत्र गीगराज मारवाल को एंव ख0नं0 2091 रकबा 1.05 है0 में से अपना संपूर्ण 1/6 हिस्सा वर्ष 2003 में रामकेशर कुमावत पुत्र जगदीश प्रसाद को जरिये रजि0 विक्रय पत्र बेचान कर दिया था। जिससे ख0नं0 2093 के संबंध में ना0क0 सं0 664 दिनांक 23.10.2002 को एंव ख0नं0 2092 के संबंध में ना0क0सं0 713 दिनांक 05.03.2003 को स्वीकृत होकर उक्त केतागण का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुआ। जो कि इस वाद पत्र में प्रति0सं0 10 एंव 14 के रूप में पक्षकार है। उक्त बेचान के समय वादिया का जन्म भी नहीं हुआ था इसलिए वादिया को अपने जन्म से पूर्व व्ययन की गयी वादग्रस्त संपदा का वाद प्रस्तुत करने का लोकस्टेण्डाई नहीं है। इसलिए वाद पत्र विधि द्वारा वर्जित है। वादिया ने विधि के प्रावधानों के विपरीत यह वाद

सहायक कलक्टर(मु.)सीकर

Scanned with CamScanner

पेश किया है। प्रथमतया वादग्रस्त कृषि भूमि वादिया के संयुक्त हिन्दू परिवार की सहदायिक संपत्ति नहीं है। द्वितीयतः हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में वर्ष 2005 में संशोधन किया गया है उससे पूर्व पुत्रियां अपने पिता के जीवनकाल में पुत्रों के समान सहदायिक नहीं थी, जिन्हें संशोधित अधिनियम में सहदायिक मान्य किया गया। इस प्रकार दिनांक 20.12.2004 के पूर्व अंतरित व्ययनित या अन्यथा सकंमित सम्पत्ति को उक्त अधिनियम अविधिमान्य नहीं करता है। इसी कानूनी प्रावधान के संदर्भ में ख0नं0 2091 व 2093 के संबंध में अवलोकन किया जावे तो वादिया का पिता वर्ष 2002 व 2003 में ही अपना संपूर्ण हिस्सा विक्रय कर चुका था। इस प्रकार से वादिया द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र धारा 6 हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की उपधारा (1) के परन्त से हिट होने के काराण वाद पत्र विधि द्वारा वर्जित है। वादिया वादग्रस्त कृषि भूमि की रिकार्डेड सह खातेदार नहीं है, जिसे विभाजन का वाद लाने का अधिकार नहीं है तथा धारा 53 आरटी एक्ट के तहत वही व्यक्ति विभाजन का वाद पेश कर सकता है जो रिकार्डेड सह खातेदार हो। उक्त विवेचन के आधार पर न्यायालय प्रार्थी/प्रति0सं0 10, 12, 13, 14, 15, व 17 द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी सपठित धारा 151 सीपीसी स्वीकार करना न्यायहित में उचित समझता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी/प्रतिवादी सं0 10, 12, 13, 14, 15, व 17 द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी सपठित धारा 151 सीपीसी स्वीकार किया जाकर वाद वादिया खारिज किया जाता है। निर्णय आज दिनांक 16.01.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर (मु0) सीकर

Scanned with CamScanner